भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3081

जिसका उत्तर बुधवार 14 दिसम्बर, 2016 को दिया जाना है

सीमेन्ट उद्योग को रियायत

3081. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सीमेन्ट और विनिर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के संबंध में ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान सीमेन्ट फैक्ट्रियों को ऊर्जा संरक्षण के उपायों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष रियायत पैकेज देने की ओर दिलवाया गया है और क्या भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की मांगों को लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में सीमेन्ट उद्योग का संरक्षण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने सूचित किया है कि हाल ही में सीमेन्ट और विनिर्माण सेक्टर में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के संबंध में ऊर्जा सम्मेलन निम्नानुसार आयोजित किए गए हैं:

क्र.सं.	कार्यक्रम और आयोजक का नाम	सम्मेलन की सारणी	सम्मेलन स्थल
1	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला-सह-प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी।	7-8 नवंबर, 2016	नई दिल्ली
2	सीमेन्ट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (सीएमए) द्वारा "सीमेन्ट उद्योग में ऊर्जा दक्षता उपाय: भावी मार्ग"	29 नवंबर, 2016	नई दिल्ली
3	भारतीय उद्योग महासंघ द्वारा ग्रीन सीमेन्टेक का 12वां संस्करण	12-13 मई, 2016	हैदराबाद

(ख) और (ग): औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने सूचित किया है कि सरकार को सीमेन्ट सेक्टर में ऊर्जा दक्षता के मुद्दे की जानकारी है। तद्नुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय के अधीन) ने भारत में 11 ऊर्जा गहन क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देने और उनमें सुधार करने के लिए परफार्म-एचीव-ट्रेड (पीएटी) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। सीमेन्ट सेक्टर उनमें से एक है। पीएटी कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण 2014-15 में पूरा कर लिया गया। पीएटी का द्वितीय चरण प्रगति पर है और 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक निर्धारित है।

(घ): औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने सूचित किया है कि देश में सीमेन्ट उद्योग का संरक्षण करने हेतु भारत सरकार विनिर्माण प्रक्रियाओं में ऊर्जा की इष्टतम खपत के साथ वस्तुओं के विनिर्माण के लिए विनियामक आवश्यकताओं की घोषणा करती है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001, भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में से एक है।

******